



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042026-271824  
CG-DL-E-15042026-271824

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1848]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2026/चैत्र 25, 1948

No. 1848]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2026/CHAITRA 25, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2026

का.आ. 1917(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2563 (अ), दिनांक 31 जुलाई 2020 द्वारा, झारखंड राज्य में एनएच-23 के पिस्का मोड़ से पाल्मा खंड के चार लेन के उपयोग के लिए, डिजाइन किलोमीटर 3.450 से किलोमीटर 26.000 (मौजूदा किलोमीटर 3.450 से किलोमीटर 26.000) तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद प्राधिकरण कहा जाए) को अपने अधिकारियों अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है,

और जबकि उक्त अधिसूचना को भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 953(ई), दिनांक 1 मार्च, 2023 के द्वारा संशोधित किया गया था।

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित का.आ. सं. 2563 (अ) दिनांक 31.07.2020 तथा जिसे बाद में का.आ. सं. 953(अ), दिनांक 01.03.2023 द्वारा संशोधित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्: -

i. उक्त अधिसूचना में, पैरा-1 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

“अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात “नियम” कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा, झारखंड राज्य में एनएच-23 (नया एनएच-43) के पिस्का मोड़ से पाल्मा खंड के डिजाइन किमी 2.900 से किमी 26.000 तक निवल सड़क खंड लंबाई 21.962 कि.मी [सारणी -2] तथा 4.380 कि.मी (0.438 कि.मी लंबाई वाली (सारणी-2) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए चार या अधिक लेन वाले खंड के उपयोग के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्”:-

ii. उक्त अधिसूचना में, बिंदु 1 के अंतर्गत, सारणी 2 [जिसे पूर्व में का. आ. 953(अ) द्वारा संशोधित किया गया था] को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:-

सारणी -2.1		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
झारखंड के रांची जिले में पत्राचोली गांव के पास एनएच-23 (नया एनएच-43) के 20.232 किलोमीटर के डिजाइन चेनेज पर।	21.962 किमी (>60 मी संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर)	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

iii. उक्त अधिसूचना में बिंदु -1 के बाद निम्नलिखित बिंदु जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“1.2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा: -

सारणी -2.2			
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित अवसंरचना की लंबाई (कि.मी में)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
झारखंड के रांची जिले में पत्राचोली गांव के पास एनएच-23 (नया एनएच-43) के 20.232 किलोमीटर के डिजाइन चेनेज पर।	0.438*	4.380	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

\*विवरण निम्नानुसार हैं:-

चैनेज (एनएच-23)		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
किमी से	किमी तक		
0.000	0.438.820	वायडक्ट	0.438

iv. उक्त अधिसूचना में, बिंदु 9 [जिसे पहले का. आ. 953(अ) द्वारा संशोधित किया गया था] को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:-

"9. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 350.21 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है तथा अंतिम पूंजी लागत अलग से अधिसूचित की जाएगी। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।"

उपरोक्त संशोधन झारखंड राज्य में एनएच-23 पर किलोमीटर 2.900 से किलोमीटर 3.450 तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के बाद प्रभावी होगा।

[फा. सं. झारखंड प्रभाग-20020/73/2025-पीआईयू रांची/ ई-263710]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2026

**S.O. 1917(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2563(E) dated the 31<sup>st</sup> July, 2020, Central Government has authorised National Highway Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority") to collect, either through its officials or through a contractor for the use of four lane of Piska More to Palma Section from Design Km. 3.450 to Km. 26.000 (Existing Km. 3.450 to Km. 26.000) of NH-23 in the State of Jharkhand.

And whereas, the said notification was amended vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing number S.O. 953(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2023.

Now, in exercise of powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes following further amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing S.O. No. 2563 (E) dated 31.07.2020, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), and subsequently amended by S.O. No. 953(E), dated 01.03.2023, namely: —

i. In the said notification, Paragraph-1 shall stand revised as under:

"Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by section 7 of the national Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules", the Central Government hereby levies the fee at the rates specified in column (2) of Table 1 for net road length of 21.962 kms [Table 2] and for equivalent structure length of 4.380 kms (having length more than 60m) (having length of structure 0.438 kms [Table-2]) for the use of four or more lane section of Piska More to Palma Section from design km. 2.900 to km. 26.000 of NH-23 (New NH-43) in the state of Jharkhand and authorises the authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-"

- ii. In the said notification, under Point 1, the Table 2 [previously revised by S.O. 953(E)] shall stand revised as under: -

<b>Table-2.1</b>		
<b>Location of Fee Plaza (chainage)</b>	<b>Length (in km) for which fee is payable</b>	<b>Rate at which fee is payable</b>
At Km. 20.232 Design Chainage of NH-23 (New NH-43) near village Patracholi in Ranchi district of Jharkhand.	21.962 km (Excluding length of structures >60 m)	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

- iii. In the said notification, after Point -1, the following Point shall be inserted, namely: -

“1.2 In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

<b>Table-2.2</b>			
<b>Location of Fee Plaza (Chainage)</b>	<b>Length of Structure (in km) to be converted into equivalent road length</b>	<b>Equivalent road length (in km)</b>	<b>Rate at which fee is payable</b>
At Km. 20.232 Design Chainage of NH-23 (New NH-43) near village Patracholi in Ranchi district of Jharkhand.	0.438*	4.380	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

\*The Details are as under: -

<b>Chainage (NH-23)</b>		<b>Type of Structure</b>	<b>Length (in km)</b>
<b>From Km</b>	<b>To Km</b>		
0.000	0.438.820	Viaduct	0.438

- iv. In the said notification, Point 9 [previously revised by S.O. 953(E)] shall be revised as under:-

"9. The estimated capital cost of the project is **Rupees 350.21 crores**. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc., are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain the record of the recovery of capital cost through user fee realised."

The above amendment shall come into effect after construction of Elevated Corridor from Km. 2.900 to Km. 3.450. on NH-23 in the State of Jharkhand.

[F. No. JHDIV-20020/73/2025-PIU Ranchi/ E-263710]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.